

2026:AHC:53340

इलाहाबाद उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

रिट - सी संख्या - 9669/2026

ओम प्रकाश एवं अन्य

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(ओं) के अधिवक्ता

: चन्द्र कुमार

प्रतिवादि(यों) के अधिवक्ता

: सी.एस.सी., सुनील कुमार सिंह

न्यायालय संख्या – 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाड़िया

1. याची के विद्वान अधिवक्ता, राज्य-प्रतिवादी के लिए विद्वान स्थायी अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।
2. उपर्युक्त पारित किए जाने वाले आदेश के दृष्टिगत, प्रतिवादी /प्रतिवादीगण को नोटिस निर्गत कर इस याचिका को इस न्यायालय के समक्ष लंबित रखने से कोई उपयोगी उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा। तथापि, यदि प्रतिवादि/प्रतिवादीगण उक्त आदेश से व्यथित होते हैं, तो उन्हें आदेश के संशोधन/परिवर्तन हेतु आवेदन प्रस्तुत करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
3. वर्तमान याचिका में याचिकाकर्ताओं द्वारा मांगा गया मुख्य अनुतोष यह है कि प्रतिवादी संख्या 2 को निर्देशित किया जाए कि वह वाद संख्या 65 वर्ष 2004 में याचीगण द्वारा दिनांक 28.01.2025 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का निस्तारण यथाशीघ्र करे।
4. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि दिनांक 11.03.2010 के आदेश के अनुपालन हेतु प्रस्तुत आवेदन विचाराधीन है, यद्यपि पर्याप्त समय व्यतीत हो चुका है, किन्तु आज तक इस मामले में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।
5. वाद के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, वर्तमान याचिका का निस्तारण करते हुए संबंधित न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि वह उपर्युक्त प्रार्थना पत्र का निस्तारण विधि के अनुसार यथाशीघ्र करे, बिना अनावश्यक स्थगन दिए, बशर्ते कि कोई विधिक बाधा न हो।

16 मार्च, 2026

(प्रकाश पाड़िया, न्यायमूर्ति)